सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-26 अंक-15 7 से 21 अगस्त, 2011 मुख्य संपादक - कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती मूल्य : 2 रुपये

कॉमरेड शिवदास घोष लाल सलाम

वैचारिक संघर्ष के बिना न तो नेताओं का विकास होगा और न ही कार्यकर्ताओं का

(5 अगस्त इस युग के विशिष्ट मार्क्सवादी चिन्तनकार कॉमरेड शिवदास घोष के स्मृति दिवस के अवसर पर महान नेता की शिक्षाओं से कुछ अंश हम यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं।)

''....संकीर्ण व्यक्ति स्वार्थ, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, अहंकार इत्यादि से ऊपर उठने के लिए एक व्यक्ति का जो संघर्ष है वह यदि व्यापक सामाजिक संघर्ष के साथ, मजदूर वर्ग के मुक्ति संघर्ष के साथ जुड़ा न हो तो उद्देश्य चाहे कितना ही नेक क्यों न हो उसके लिए वांछित लक्ष्य तक पहुँचना संभव नहीं है। इसीलिए व्यक्ति के संघर्ष को हमेशा सामूहिक संघर्ष के साथ जोड़ना होगा। लेकिन इस सामूहिक संघर्ष को भी सही रास्ते पर संचालित करने के लिए और इसे भूल चूक से मुक्त रखने के लिए एक सुनिर्दिष्ट विज्ञानसम्मत पद्धति के अनुसार संचालित करने की जरूरत है। इसीलिए जनता के बीच रहकर पार्टी के रोजमर्रा के काम करने में कार्यकर्ताओं का जो एक ढीलाढ़ाला और घिसापिटा रवैया है उसे दूर करके काम की गति को जिस तरह आप लोगों को बढ़ाना होगा उसी तरह साथ ही साथ उसे सुनियोजित तरीके से भी करना होगा। यदि देखा जाए कि काम की गति तो तेज हो रही है लेकिन वह योजनाबद्ध तरीके से नहीं हो रही है, तो इससे काम नहीं बनेगा। हो सकता है दोड़ भाग करके आप कुछ काम कर भी दें, लेकिन देखा जाता है कि उसे करने के पीछे कोई परिकल्पना-योजना नहीं है, वैचारिक आधार नहीं है, उसे सामूहिक योजना के तहत नहीं किया गया है, तो उससे कुछ काम बनेगा नहीं। इससे व्यर्थ समय जाया होगा। इसलिए मेरा कहना यह नहीं है कि काम के मामले में उछलते-कूदते आप लोग कितना आगे जा सके हैं। मेरा कहना है कि आप लोग चाहे पैदल चलकर जाएं या सामर्थ्य अनुसार दौड़कर ही जाएं, लेकिन जाएं योजना के आधार पर, सही नेतृत्व के तहत। व्यक्तिगत आचरण और व्यक्ति स्वाधीनता की जो झोंक हरेक के अन्दर बरकरार

(शेष पृष्ठ 3 पर)

5 अगस्त, 1923 5 अगस्त, 1976

काले धन का गंभीर खतरा, इससे कैसे लड़ें

काफी लम्बे अर्से से यह साफ जाहिर हो गया है कि काले धन या दूसरे शब्दों में बेहिसाब-किताब वाले धन की उत्पत्ति और सरकुलेशन न केवल समानान्तर अर्थव्यवस्था को चला रहा है बल्कि दरअसल मुद्रास्फीति की आग में घी डालते हुए और सरकारी खजाने को इसके न्यायोचित प्राप्य टैक्सों से वंचित कर महंगाई को आकाश छूने में योगदान देते हुए अर्थव्यवस्था में एक एक निर्णायक भूमिका अदा कर रहा है। यह बात भी साफ है कि काले धन का संचालन और संचयन चोटी के उद्योगपतियों, बड़े-बड़े व्यापारियों और कार्पोरेट सेक्टर, बेईमान राजनेताओं, भ्रष्ट अफसरशाहों, तश्करों, सट्टेबाजों, घटिया शेयर मार्केट डीलरों और रीयल एस्टेट प्रोमोटरों तथा ऐसे ही अन्य काले धंधे करने वालों की काली करतूत है। यह भी साफ जाहिर है कि सरकार व प्रशासन की मौन सहमति और अप्रत्यक्ष संलिप्तता के बिना ऐसा भयानक अपराध इतनी तत्परता से नहीं किया जा सकता था। यह मामला तब सीधे नजरों में आया जब पूना को आधार बनाकर धंधा करने वाला एक व्यापारी हसन अली 74,000 करोड़ रुपये के बराबर टैक्स चोरी करने में पुलिस द्वारा धर दबोचा गया। इससे उन सब लोगों में एक कोलाहल मच गया जिनकी दूसरी चीजों के साथ-साथ जिन्दगियां काले धन के चलन में हुई इस खतरनाक बढ़ोतरी से तबाह हो गयी हैं। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जनता के दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस बात के लिए फटकार लगाई कि काला धन रखने वालों को पकड़ कर उन पर मुकदमा चलाने और उन्होंने जो काला धन स्विस बैंक और विदेशों में स्थित टैक्स हैवनों में छुपा कर रखा हुआ है उसका पता लगाने में सरकार पहलकदमी नहीं ले रही है। इससे बावेला मच गया और जनता के प्रति फिक्रमंद होने का दिखावा करने का मौका पाकर संसद में पूंजीवादी विपक्ष और साथ ही रामदेव जैसे स्वयंभू गुरू भी पिल पड़े। लेकिन जिस समस्या ने लगातार अम्बार लगते जा रहे और देशवासियों के लिए सचमुच में खतरा पैदा करते जा रहे काले धन की अकूत रकम पैदा कर दी है, वह समस्या मीडिया की चकाचौंध में रामदेव द्वारा यह मुद्दा उठाये जाने से या बीजेपी जैसी पार्टियों द्वारा हो हल्ला मचाये जाने से अथवा जाँच कमेटियाँ गठित किये जाने से भी कतई कम नहीं हुई है। अतीत में लोगों का तजुर्बा है कि पूंजीवादी विकल्प के ये तथाकथित लड़ाकू तेवर उसी समय दम तोड़ देते हैं जब सरकार का पदभार बदल जाता है यानी जब विपक्ष में जो पार्टी थी वह सत्तापक्ष बन जाती है। इसी तरह, लोगों की आँखों में धूल झोंकने के लिए गठित की गई कई कमेटियाँ और आयोग भी टांय-टांय फिस निकले और काला धन और भी मजबूत से मजबूत होता गया। यह होता देखकर कि काला धन जन जीवन में कहर बरपा रहा है, लोग अब इस महा विपत्ति से निजात पाने के लिए बेचैन हैं। इसलिए इस सन्दर्भ में इस मुद्दे को समझना और त्रस्त जनता के भावी काम को निर्धारित करना जरूरी है।

काला धन क्या है

1947 में भारत में स्वतंत्र पूंजीवादी राज्य कायम होने के तुरन्त बाद ही, भारत सरकार ने भारतीय कराधान के ढाँचे के बारे में ब्रिटिश अर्थशास्त्री प्रोफेसर निकोलस कालडोर की सलाह मांगी थी। 1956 में उन्होंने भारत सरकार को एक रिपोर्ट पेश की थी। उन्होंने टिप्पणी की थी कि कई कम-विकसित देशों में जैसे होता है, भारत

(शेष पृष्ठ 2 पर)

खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजीनिवेश का एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) द्वारा विरोध

भारत के खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश का दरवाजा खोल देने के लिए केन्द्रीय यूपीए सरकार की मौजूदा तत्परता का जोरदार विरोध करते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने 25 जुलाई को प्रेस में जारी एक बयान में कहा :

''देशी-विदेशी कॉर्पोरेट पूंजी की स्वार्थरक्षा में लगी केन्द्र की यूपीए सरकार द्वारा भारत के खुदरा व्यापार का क्षेत्र विदेशी बहुराष्ट्रीय एकाधिकारी कम्पनियों के पूंजी निवेश के लिए खोल देने का फैसला लिया गया है। इसके द्वारा 'भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, फसल और पण्य मालों के रखरखाव की व्यवस्था में सुधार होगा, सप्लाई लगातार बनी रहने से उपभोक्ताओं की बड़ी मदद होगी' वगैरह जो सब बहाने सरकार बना रही है वे बिल्कुल सच नहीं हैं।

दरअसल, केन्द्रीय सरकार का यह नापाक कदम खुदरा व्यापार में लगे करोड़ों लोगों की आजीविका छीन कर उन्हें रास्ते का भिखारी बना देगा। दूसरी तरफ भारत के खुदरा व्यापार के क्षेत्र में विदेशी कॉर्पोरेट पूंजी का आधिपत्य कायम करने के जरिए उन्हें अकूत मुनाफा लूटने का मौका दे देगा।

हम यूपीए सरकार की इस जघन्य साजिश का जोरदार विरोध करते हैं। महज खुदरा व्यापारी ही नहीं बल्कि देश के तमाम लोकतांत्रिक मनोभावना वाले लोगों से हम शक्तिशाली आन्दोलन गठित करने की अपील करते हैं ताकि इस विनाशकारी नीति को रद्द करने के लिए केन्द्रीय सरकार को मजबूर किया जा सके।''

काले धन का गंभीर खतरा...

(पृष्ठ 1 का शेष)

में भी टैक्स देने से बचना और टाल-टूल करना एक गंभीर व्याधि बन चुका है। उन्होंने यह भी टिप्पणी की थी कि धनवान अभिजात्य वर्गीय लोग (*पूंजीपति पढ़ें*) सरकार पर दबाव डालकर टैक्स सुधार को रोकने में सक्रिय थे। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने यह नोट किया था और अभिव्यक्त किया था कि टैक्स देने से बचना और टाल-टूल करना भारी मात्रा में काला धन पैदा करता जा रहा है जो कि एक समानान्तर अर्थव्यवस्था को चलाने जितनी बड़ी रकम है। स्वाभाविक था कि पूंजीवादी राज्य की सरकार को कालडोर के ये सुझाव नहीं भाये, सरकारी गद्दी पर बैठे शासकों ने उनको पतला किया और असल में खारिज ही कर दिया। लेकिन देश के लोग इस विचार से परिचित हो गये कि काला धन सुदूर अतीत में उस वक्त भी एक समानान्तर अर्थव्यवस्था चला रहा था–यह एक तथ्य है।

अब सवाल यह है कि काला धन क्या है, यह कैसे बनता है और अब यह कितना शक्तिशाली है?सर्वविदित है कि एक सीमा से परे जाते ही आमदनी पर टैक्स लगना शुरू हो जाता है, हर आदमी इस बात से भी बखूबी वाकिफ है कि हमारे जैसे एक पूंजीवादी राज्य में मजदूर आमदनी या वेतन के साथ ही जो अतिरिक्त (सरप्लस) मूल्य पैदा करता है उसे निरपवाद रूप से गुप्त रखा जाता है ताकि पूंजीपतियों के मुनाफे का मौका रखा जा सके। इसलिए मुनाफा हमेशा शोषण से उपजी हुई रकम होता है। सर्वोपरि यह बात है कि सरकार घोषित रूप से जन कल्याण या शासन चलाने के लिए राजस्व अर्जित करने हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विभिन्न रूपों में टैक्स लगाती है। जहां प्रत्यक्ष टैक्स व्यक्ति की होने वाली आमदनी पर सीधे लगाया जाता है, वहीं अप्रत्यक्ष टैक्स वह टैक्स है जो या तो एक्साइज ड्युटी, आयात शुल्क या बिक्री कर, सम्पदा कर या यहाँ तक कि मुनाफे पर लगने वाले कार्पोरेट टैक्स के रूप में पूंजीपतियों से वसूला जाना चाहिए लेकिन वे बदले में पण्य मालों और सेवाओं के अन्तिम उपभोक्ताओं से यानी महंगाई बढ़ाकर आम आदमी से यह पैसा वसूल लेते हैं। लोग इस बात से वाकिफ हैं कि हाल ही में वेल्यू एडिड टैक्स (वैट) जो कि समझा जाता है कि विक्रेता संस्था को वहन करना चाहिए, सीधे चीजों की कीमतों और टैक्सों में जोड़ दिया जाता है और उपभोक्ता से वसूल लिया जाता है। लेकिन, जब ऐसी किसी भी आमदनी पर या किसी भी आर्थिक लेन देन पर प्रत्यक्ष कर की चोरी की जाती है, तो यह बगैर हिसाब-किताब वाले धन के रूप में संचित हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब एक प्रोपर्टी बेचने वाले को उसकी बिक्री राशि नकद मिल जाती है और वह इसे टैक्स खाते में नहीं दिखाता है, जब एक कम्पनी ऐसे वेण्डरों को उतार करने के जरिए जिनका कोई वजूद ही नहीं है, फर्जी खर्च दिखाती है या कम टैक्स देने के ऐसे ही अन्य गैर कानूनी तरीके अपनाती है और इस तरह अपना मुनाफा बढ़ाती है, जब कोई व्यापारी बिक्री का कम रकम का बीजक बनवाता है, तो बेहिसाब धन जुड़ता जाता है। यही है काला धन। सरल शब्दों में यह कहा जाये कि उजागर नहीं की हुई आमदनी या धन जिस पर टैक्स नहीं दिया गया है वह है काला धन। बेहिसाब-किताब वाला यह धन गैरकानूनी धन होता है। यह काला धन आपराधिक तरीकों से भी पैदा किया जाता है, चाहे तश्करी के जरिए हो, या नशीले पदार्थों के धंधे या हथियारों के सौदों के जरिए हो या उठाईगिरों, किडनेपरों द्वारा ली गई फिरोती के जरिए हो या राजनेताओं व अफसरों द्वारा ली गई रिश्वत, कट मनी के जरिए हो या किसी और ढंग से हो। जहाँ मुद्रास्फीति की आग में ईंधन डालने वाली जमाखोरी, कालाबाजारी को बढ़ावा देकर और गैर कानूनी धन के लेनदेन में धड़ल्ले से संलिप्त होकर घरेलू बाजार में बेखटके काले धन का अम्बार लगाया जा रहा है, वहीं और भी ज्यादा गैर कानूनी लाभ बटोरने के लिए संदिग्ध तरीकों से देश से बाहर गुप्त रूप से काला धन अच्छी खासी मात्रा में जमा किया जा रहा है।

काले धन की आवाजाही

यहां यह जानना प्रासंगिक होगा कि काला धन भारत से बाहर कैसे जाता है और फिर रिसाइकिल होकर वापस भारत में कैसे आता है? यह आमतौर पर 'टैक्स हैवन' के नाम से जाने जाने वाले देशों या सीमाक्षेत्रों के रूट से आता-जाता है जहाँ या तो बिल्कुल टैक्स नहीं लगते हैं या फिर बहुत ही कम रेट पर टैक्स लगते हैं। दो रूट हैं–एक अन्दरूनी रूट और दूसरा बाहरी रूट। अन्दरूनी रूट का खुलासा इस तरह किया जा सकता है। मान लीजिए कि किसी पूंजीवादी मालिक ने अपनी कम्पनी से 10 करोड़ रुपये निकाल लिये हैं। वह कई दिखावटी कम्पनियाँ स्थापित कर लेता है और उनके नाम से कई बैंक खाते खोल लेता है। फिर वह उक्त पैसे को छोटी छोटी किस्तों में इन खातों में नकद जमा करने लगता है। चूँकि जमा खातों का साइज बहुत ही छोटा होता है, इसलिए यह रेगूलेटरी अथोरिटियों की नजर में नहीं चढ़ता है। फिर यह पैसा टैक्स हैवनों में खोले गये खातों में स्थानान्तरित या तकनीकी शब्दावली में कहे, तो 'वायर्ड' (wired) कर दिया जाता है। दूसरा रूट हवाला के नाम से जाना जाता है। पूंजी का मालिक सारा का सारा 10 करोड़ रुपया भारत में हवाला कारोबार चलाने वाले को दे देगा। उक्त कारोबारी का विदेश में बैठे हवाला कारोबारी से लिंक हैं। भारत में रकम का भुगतान हो जाने की पुष्टि हो जाने पर दूसरे देशों में हवाला कारोबारी कई तरह के उल्टे-पुल्टे लेनदेनों के सिलसिले के जरिए उसके बराबर धन अपना हवाला कमिशन उसमें से काटकर टैक्स हैवनों में खोले गए पूंजीपतियों के बैंक खातों में जमा होना सुनिश्चित कर देता है।

इस तरह टैक्स हैवनों में जमा करके रखा गया धन फिर भारत में या तो शेयर बाजार, रीयल एस्टेट के धंधे, व्यापार-वाणिज्य या अन्य परिसम्पत्तियों में निवेश कर दिया जाता है। इस तरह चक्र पूरा हो जाता है। वर्तमान दर से दिया जाये, तो भी पूंजीपतियों को 30% से 35% टैक्स देना पड़ता। यह सीधे-सीधे बचा लिया जाता है। यह टैक्स दिया नहीं जाता है। इसके अलावा, काला धन सफेद बन जाता है और पिछले दरवाजे से किये गये इस पूंजी निवश पर आगे होने वाली कमाई पर भी टैक्स नहीं चुकाया जाता है क्योंकि इनमें से ज्यादा टैक्स हैवनों का भारत के साथ डबल टैक्स से छूट का समझौता (डबल टैक्स अवाइडेंस एग्रीमेंट या डीटीएए) हुआ होता है। इसका मतलब यह है कि ऐसी कमाई पर एक ही देश में टैक्स लग सकता है, या तो भारत में या टैक्स हैवन वाले देश में। साफ जाहिर है कि पूंजीवादी मालिक इस टैक्स का हिसाब-किताब अपने मनचाहे टैक्स हैवन में लगवायेगा जहाँ टैक्स का रेट ऐन जीरो हो और इस तरह 10% से लेकर 35% तक टैक्स की चोरी कर ली जाती है। वस्तुतः वह न तो काले धन के सृजन पर टैक्स देता है और न ही इसके सफेद में बदले जाने पर। फिर, चूँकि यह धन सफेद बना लिया गया है, इसलिए इसे स्वछंदता से अन्य देशों में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। चूँकि भारत का अन्य देशों से डीटीएए समझौता है, मॉरिशस जो कि टैक्स हैवन है, इसलिए ज्यादातर लेन-देन मॉरिशस के रूट से होते हैं। इसके अलावा, पार्टिशिपेटरी नोट (पीएन) के नाम से जाने जाने वाले वित्तीय प्रपत्र के जरिए सूचीबद्ध शेयरों में बिना प्रत्यक्ष मालिकाने के विदेश से भारतीय शेयर बाजार में सट्टेबाज ट्रेडिंग करने की व्यवस्था है। ज्यादातर विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) टैक्स हैवनों में पंजीकृत हैं, उनका भारत के साथ डीटीएए समझौता है, पार्टिशिपेटरी नोटों के 'सब अकाउन्टस' के नाम से जो खाते जाने जाते हैं उनको सर्जित करते हैं और भारतीय शेयर बाजार में व्यापक पैमाने पर पूंजी निवेश करते हैं, चूँकि विदेशी संस्थागत निवेशकों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे इन सब-अकाउन्टस खातेदारों के नाम उजागर करेंगे, ये सब काले धन के बेलगाम वाहक हैं। पिछले साल विदेशी संस्थागत निवेशकों ने इन बेनामी बेपते के पार्टिशिपेटरी नोटों के जरिए भारतीय शेयर बाजार में 35 बिलियन डालर के बराबर पूंजी निवेश किया था।

काले धन के अम्बार

काले धन की असली मात्रा का अनुमान लगाना इतना अस्पष्ट है जितना कि पानी पर लिखना। किसी को सही सही अंदाजा नहीं है कि काले धन की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। 1955 में निकोलस कालडोर द्वारा किये गये एक अध्ययन ने दिखाया था कि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4-5% बैठने वाले काले धन की मात्रा लगभग 600 करोड़ रुपये के बराबर थी। 1969 में जस्टिस वांचू की अगुआई में गठित एक पैनल ने कराधान व्यवस्था को स्ट्रीम लाइन करने के कई तरीकों की सिफारिश की थी। उसने अंदाजा लगाया था कि काले धन की अर्थव्यवस्था का साइज 7000 करोड़ रुपये हो गया था। राजा चलैया की अध्यक्षता में नेशनल इन्स्टीच्युट ऑफ पब्लिक फाइनेन्स एंड पोलिसी ने 1980-81 में दिखाया था कि काले धन की अर्थव्यवस्था का हिसाब-किताब जीडीपी का 20% बैठता था जो उस समय 15 लाख करोड़ रुपये के लगभग बनता था। 1992 में एस.बी. गुप्ता द्वारा किये गये एक अध्ययन ने यह आँकड़ा 1980-81 के लिए जीडीपी का 42% और 1987-88 के लिए 51% पेश किया था। जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरुण कुमार ने 2005-2006 में इसके साइज का अंदाजा जीडीपी का 50% लगाया था जो लगभग 39 लाख करोड़ रुपये बैठता था। उन्होंने यह भी कहा था कि इसका लगभग 10% हवाला और कम और अधिक राशि के बीजक बनवाकर किये जाने वाले व्यापार-वाणिज्य जैसे विभिन्न चैनलों से देश के बाहर चला गया है। हाल ही में, स्विस बैंक अधिकारियों ने खुलासा किया है कि 1456 बिलियन या 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डालरों या 72 लाख करोड़ रुपयों जितना भारी धन भारतीय उद्योगपतियों, राजनेताओं और अफसरशाहों द्वारा खोले गये व्यक्तिगत खातों में पड़ा है। यह दुनिया में सर्वाधिक है। भारत के बाद रूस और यूके का नम्बर आता है जिनका क्रमशः 470 बिलियन और 398 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर धन जमा है। हिसाब-किताब दिखाता है कि अगर काले धन की यह भारी रकम भारत में लायी जा सके, तो देश का तमाम विदेशी कर्ज 24 घण्टे में उतारा जा सकता है। विदेशी कर्ज चुकाने के बाद भी सरप्लस बचा पैसा विदेशी कर्ज का 12 गुना से भी ज्यादा होगा जिसे अगर निवेश किया जाये, तो केन्द्र सरकार के सालाना बजट से भी ज्यादा ब्याज कमा कर दे सकेगा। इसलिए भले ही चाहे टैक्स खत्म कर दिये जायें, तब भी केन्द्रीय सरकार देश का बहुत ही आराम से रखरखाव करने में सक्षम होगी। इस रकम से देश के करीब दसियों करोड़ गरीबों को एक एक लाख रुपये प्रति व्यक्ति दिये जा सकते हैं। व्यापक तौर पर यह महसूस किया जाता है कि इस धन की एक छोटी सी मात्रा देश में वाटर ट्रीटमेन्ट, साफ-सफाई, वेस्ट मैनेजमेन्ट, पुनर्सर्जित उर्जा, स्वास्थ्य शिक्षा, शहरी अधिसंरचना और इससे जुड़े क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने में मदद कर सकती है, सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत सब को राशन देने और सभी भारतीयों को भूख के जाल से बाहर निकालने के काम को सरअंजाम दे सकती है, उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक व सामाजिक शोध संस्थाओं और एक्सक्लुसिव साइन्टीफिक प्रोजैक्टों के लिए वित्त पोषण कर सकती है, यह सभी कुछ एक साथ उसी समय किया जा सकता है।

काले धन द्वारा मचायी गई तबाही

काले धन का यह दैत्य देश के लोगों के लिए क्या तबाही मचा सकता है, सुप्रीम कोर्ट की हालिया प्रतिक्रिया से ही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसी एक अवस्था में जब काले धन ने वर्तमान केन्द्रीय सरकार की कारगुजारी के सन्दर्भ में आकर्षण के केन्द्र का रूप ले लिया है और जब इन सबके खिलाफ जन प्रतिरोध का दबाव बढ़ता जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट भी, इस पर गौर फरमाये बिना नहीं रह सका। यूरोपीय बैंकों में छुपाकर रखे गये काले धन का पता लगाने और इसे बरामद करने के बारे में हरकत में न आने पर केन्द्र सरकार को

(शेष पृष्ठ 6 पर)

केन्द्र व राज्य सरकार के विकास के दावे और हकीकत विषय पर परिचर्चा

पटना, 16 जुलाई: केन्द्र व राज्य सरकार विकास का ढिढ़ोंरा पिट रही हैं, जीडीपी में बढ़ोतरी की बातें कर रही है। लेकिन, देश और राज्य की बहुसंख्यक जनता महंगाई की मार से तबाह है। उसके लिए रोजगार नहीं है। रोजगार प्राप्त लोगों की छंटनी जारी है। लोगों के नैतिक-सांस्कृतिक स्तर में लगातार गिरावट हो रही है। मजदूर-किसानों द्वारा आत्म हत्या की घटनाओं में इजाफा जारी है। जनता के अधिकार एक के बाद एक छीने जा रहे हैं। उक्त बातें 16 जुलाई, 2011 को एस यू सी आई (कम्युनिस्ट) पटना जिला कमिटी द्वारा 'केन्द्र व राज्य सरकार के विकास के दावे व हकीकत' विषय पर आयोजित परिचर्चा में बांग्ला साप्ताहिक गणदाबी के संपादक मंडल सदस्य सह एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) पश्चिम बंगाल राज्य कमिटी सदस्य कॉ. अमिताभ चटर्जी ने कही।

उन्होंने कहा कि विकास का मतलब तो यही होना चाहिए कि हमें पर्याप्त भोजन मिले, रहने के लिए आवास हो, रोजगार हो, बच्चों के लिए शिक्षा हो और बीमार पड़ने पर हमारा इलाज हो सके। लेकिन आज शॉपिंग मॉलों के खुलने, कुछ फ्लाई ओवरों के निर्मित होने, कुछ फोर लेन सड़कों के बनने को ही विकास कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक शासन-शोषण के दिनों में भी तो अंग्रेजों ने रेलें बिछायी, सड़कं बनवाई और पुल बनवाये। वे अपना शासन-शोषण और तुख्ता करने के लिए ही ऐसा कर रहे थे, न कि हमारे विकास के लिए। आज आजादी के 64 सालों बाद भी अगर गांव के अधिकांश बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती है, मजदूरों को रोजाना काम नहीं मिलता है, तो यह कैसा विकास है, किसका विकास है और किसके हित में विकास है। उन्होंने कहा कि सरकार के विकास के दावे पूरी तरह से खोखले हैं। सरकार हकीकत पर नहीं चलती है। सरकार चलती है वर्ग हित के आधार पर। इस वर्ग विभाजित समाज में, शोषण पर आधारित इस समाज में विकास को भी वर्ग

(शेष पृष्ठ 5 पर)

कॉमरेड शिवदास घोष की...

(पृष्ठ 1 का शेष)

है उसे सामाजिक चेतना के जरिए पैटर्न करके, ट्यून करके आप लोगों को चलना होगा।

इसी प्रकार योजना के आधार पर, सही नेतृत्व के तहत पार्टी के कार्यक्रमों को यदि आप लोग क्रियान्वित करते रहें और साथ ही साथ योजनाओं में कहाँ क्या गलती है सामूहिक रूप से आलोचना करके किस प्रकार उन्हें और भी बेहतर बनाया जाए यही प्रयास करते रहें, तो संगठन को आवश्यकता अनुसार मजबूत नींव पर तेजी से खड़ा करने में आप लोग सक्षम होंगे। लेकिन आलोचना-समालोचना की धारा यदि आप लोगों की यह हो कि आप लोगों में 'कमी है', 'कुछ हो नहीं रहा है'– सिर्फ यही कहते रहें, तो यह नेगेटिव अप्रोच (नकारात्मक रवैया) होगी। इसका मायने है आप लोग कुछ करने के लिए आलोचना-समालोचना नहीं कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं इसे ढकने के लिए ही आलोचना-समालोचना कर रहे हैं। आप याद रखें कि आपकी आलोचना-समालोचना का चरित्र क्या है इसे भी पकड़ने के कितने ही तरीके मार्क्सवादी विज्ञान ने पेश किए हैं। जब आपके वक्तव्य के अन्दर सिर्फ नेगेटिव क्रिटिसिज्म (नकारात्मक आलोचना) रहती है, विक्षोभ रहता है, विक्षोभ ही है जिसका आधार-यानी जाहिर है कि ठोस रूप से आप यह नहीं बताते हैं कि पार्टी को क्या छोड़ना चाहिए और क्या ग्रहण करना चाहिए, सिर्फ यह हो रहा है, वह नहीं हो रहा, यह क्यों होगा, उस तरह करना बेमतलब है, इस तरह कैसे होगा-यह सब कहकर विक्षोभ प्रकट करते रहते हैं, तब समझना होगा इसका यह मायने है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं–यह जब पकड़ में आ जाता है, तो असल में दूसरे के दोषों में उसका कारण खोजते हैं।

जो इस तरह विचार कर रहे हैं उन्हें सोचना होगा कि वे खुद क्या कर रहे हैं या पार्टी के प्रोग्राम में यदि कुछ गलती रह गई है, तो वह गलती क्या है और वह क्या प्रोग्राम है जो प्रोग्राम उन्हें वहाँ लेने की जरूरत थी। इतना ही होगा उनका विचारणीय विषय। उनके असंतुष्ट या मानसिक रूप से उत्तेजित या विक्षुब्ध होने का कोई 'बिन्दु' यहाँ कुछ नहीं है। सिर्फ इतनी ही असंतुष्टि रह सकती है कि वे खुद ही अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं। बाकि सब चीजें उनका अहंकार हैं जो उन्हें ठग रहा है–खुद जो नहीं कर पा रहे हैं उसी का दोष या तो पार्टी की योजना पर या फिर संबंधित नेतृत्व पर मढ़ रहे हैं। हो सकता है कि कई बार ये भी 'महत्त्वपूर्ण बिन्दु' हों, लेकिन उस मामले में वे ठोस बिन्दु के रूप में आएंगे। यानी ठोस रूप से बताना होगा कि किस विशेष तरह की योजना लेनी चाहिए थी जो नहीं ली गई या फलां नेता ने जो योजना दी थी वह असफल हुई और अनुभव सिद्ध कर रहा है कि इस तरह करने से काम हो सकते थे। लेकिन जो विक्षोभ प्रकट करते हैं, जो आलोचना-समालोचना करते हैं, जो 'कटाक्ष' करते हैं या जो असंतोष प्रकट करते हैं वे क्या इस तरह ठोस बिन्दु उठाकर आलोचना करते हैं? नहीं करते हैं। फिर देखा जाता है कि कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं, जो जिस इलाके में काम करते हैं वहाँ जब काम को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, तब सोचते हैं कि यह जगह ही स्पेशल है, कुछ अलग है, विचित्र असुविध ाजनक जगह है। वे सोचते हैं कि इस तरह की जगह और कहीं नहीं है। अत: वे कहते रहते हैं कि इलाके का परिवेश भयंकर प्रतिकूल होने की वजह से ही वे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यानी वे अपने कुछ न कर पाने का कारण परिवेश के अन्दर खोजते रहते हैं। इसकी वजह से असल बात को पकड़ने का प्रयास ही वे नहीं करते हैं और वे खुद को ही धोखा देते हैं। वे पकड़ने का प्रयास ही नहीं करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया। इसी को यदि वे पकड़ पाते, तो वे देख पाते कि इन सब हजारों असुविधाओं के बीच उनके लिए करने को बहुत कुछ था और वे बहुत कुछ कर सकते थे। अत: हरेक कार्यकर्ता के लिए हमेशा इसी तरह आलोचना करना सही है। पहले अपने गिरेबान में झांक कर यह देखना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया और उनकी गलती कहाँ रही।

नेताओं के मामले में भी यही बात लागू होती है। कोई कार्यकर्ता एक काम नहीं कर पाया। एक नेता उस मामले में अपने आपसे यह प्रश्न करना शुरू करेंगे कि उन्होंने उस कार्यकर्ता के मामले में क्या-क्या कदम उठाए ताकि वह कार्यकर्ता अपनी सामर्थ्य अनुसार उस काम को अंजाम दे पाता और इस मामले में उन्होंने कार्यकर्ता को क्या सहायता प्रदान की। नेता को अपनी तरफ से पहले तो यह देखना चाहिए कि उस सहायता की दिशा ठीक थी या नहीं। उसके बाद देखना चाहिए कि कार्यकर्ता अपनी किन-किन सीमाबद्धताओं के कारण काम नहीं कर सका और वह वास्तविक दिक्कत क्या रही, उसके बारे में नेता उसे अच्छी तरह से समझा दें। इसके बाद भी यदि देखा जाए कि कार्यकर्ता के लिए जो करणीय था उसने नहीं किया, तो उसे यह बता दें। लेकिन नेतागण हमेशा ऐसा नहीं करते हैं। अक्सर जो कार्यकर्ता नहीं कर सका उसे तुरंत निकम्मा मान कर भला बुरा कहने लगते हैं। कार्यकर्ता के काम न कर पाने की जो जिम्मेदारी नेताओं पर आयद होती है उसी जिम्मेदारी से कन्नी काटने का रुझान अनजाने ही नेताओं की मानसिकता में काम करते हुए उन्हें ठगता रहता है। इस बात का मतलब यह नहीं है कि नेताओं की कमी की वजह से ही कार्यकर्ता काम नहीं कर पा रहा है। बल्कि मेरा कहना यह है कि यदि नेताओं में कोई कमी-खामी नहीं है, तो फिर वे मामले के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाने की बजाय, शुरू से ही कार्यकर्ताओं पर क्यों चढ़ बैठते हैं?

नेताओं को यहाँ एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए। वह है पार्टी के सभी कार्यकर्ता और समर्थक एक स्तर के नहीं होते हैं। काम न कर पाने के मामले में कार्यकर्ताओं की विभिन्न किस्में होती हैं और उन्हें समझकर विभिन्न स्तरों पर उन्हें 'टैकल' करना पड़ता है। विभिन्न कार्यकर्ताओं की ये जो अलग-अलग किस्म होती हैं इनका विचार किये बगैर एक ही तरह से एक ही ढर्रे पर गढ़े गढ़ाए फार्मूले से सभी कार्यकर्ताओं को 'टैकल' करना तो 'पर्टीकुलेरिटी ऑफ कंट्राडिक्शन' (विशेष द्वन्द्व की विशेष अवस्था) के सिद्धांत को ही नकारना हो जाएगा। बहुत बार देखा जाता है कि एक कार्यकर्ता निष्ठावान होने के बावजूद कितनी ही भ्रांतियों या कमियों के चलते, जिनके बारे में वह सचेत नहीं है या सचेत होने के बावजूद कुछ नुकसानदेह आदतों और रुझानों का शिकार है, उनकी वजह से वह कई बार अपनी रक्षा नहीं कर पाता है या प्रयास करने पर भी वह सफल नहीं हो पा रहा है। उस मामले में एक निश्चित अवधि तक कार्यकर्ता को सुधारने के लिए नेताओं को बार-बार धैर्य के साथ प्रयास करना चाहिए। जहां वह कर नहीं पा रहा-क्योंकि यह पता ही है कि वह कर नहीं पा रहा है-वहाँ उस पर चढ़ बैठने की बजाय सहानुभूतिपूर्वक उसकी सहायता करना ही होगा नेताओं का बड़ा कर्तव्य। फिर नेताओं को ध्यान में रखना चाहिए कि यह सहानुभूतिपूर्ण 'ट्रीटमेंट' और मदद कहीं पार्टी विचार या पद्धति से अलग किसी एक नेता के सिर्फ व्यक्तिगत विचार को ही आधार बना कर न हो। इस मामले में समस्या पर उसके स्वरूप या चरित्र के अनुसार 'स्टडी सर्कल' और अन्य पाँच साथियों के सामने चर्चा की जा सकती है, फिर समस्या के स्वरूप के चलते सबके सामने न होकर नेताओं के बीच या जिनके सामने चर्चा की जा सकती है, उनके सामने चर्चा की जानी चाहिए। सब बातों की सबके सामने चर्चा नहीं भी की जा सकती है, लेकिन पार्टी के किसी न किसी के सामने चर्चा करना निहायत जरूरी है। सिर्फ एक नेता की व्यक्तिगत धारणा के अनुसार 'टैकलिंग' कभी नहीं होनी चाहिए।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

सेमेस्टर प्रणाली, फीस वृद्धि, शिक्षा के निजीकरण-व्यापारीकरण के खिलाफ सेमीनार

भोपाल (म.प्र.): फीस वृद्धि, सेमेस्टर प्रणाली शिक्षा के व्यापारीकरण-निजीकरण के विरोध में छात्र संगठन ऑल इंडिया डी.एस.ओ. द्वारा 3 जुलाई को स्थानीय हिंदी भवन में सेमिनार आयोजित किया गया।

सेमिनार में बोलते हुए एआईडीएसओ के राष्ट्रीय महासचिव कॉ. सौरभ मुखर्जी ने कहा कि गत दिनों म.प्र. में लागू की गई सेमेस्टर प्रणाली दरअसल यशपाल समिति की शिक्षा-विरोधी सिफारिशों को लागू करने के क्रम में ही उठाया गया एक कदम है। यह प्रणाली न केवल छात्रों पर फीस का बोझ बढ़ाने वाली है, अपितु ये छात्रों की चिंतन करने की सामग्रिक प्रक्रिया पर बहुत बड़ा प्रहार है। इसके द्वारा छात्रों में पढ़ो-लिखो व भूल जाओ की मानसिकता विकसित होगी। कॉ. मुखर्जी ने कहा कि आज शिक्षा का निजीकरण-व्यापारीकरण पूँजीपतियों को अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के अवसर प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। तमाम सरकारें इन्हीं नीतियों को लागू कर रही हैं। जबरदस्त देशव्यापी छात्र आंदोलन ही इस हमले को रोक सकता है। ऑल इंडिया डीएसओ देशभर में इसी का प्रयास कर रहा है। कार्यक्रम का संचालन कॉ. विनोद लोगारिया ने किया।

दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यापकों व छात्रों का विरोध प्रदर्शन

दिल्ली: छात्रों के जनवादी अधिकारों पर हमलों और युनिवर्सिटी प्रशासन के तानाशाही रवैये के खिलाफ 29 जुलाई, 2011 को एक प्रतिवाद जुलूस निकाला गया। एआईडीएसओ सहित अन्य वामपंथी छात्र संगठनों और विभिन्न कॉलेजों के अध्यापकों ने प्रतिवाद में हिस्सा लिया। उप कुलपति को एक ज्ञापन दिया गया। हिन्दू कॉलेज, सेंट-स्टीफन कॉलेज, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सत्यवती कालेज से आए अध्यापकों और छात्रों ने इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। एआईडीएसओ, एआईएसए, एआईएसएफ, केवाईएस और दिल्ली स्टूडेंट्स और टीचर्स संगठनों के नेताओं ने प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित किया। कार्यक्रम का संचालन एआईडीएसओ के राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड दीपक झा ने किया।

पैट्रो-उत्पादों और बिजली दर बढ़ोतरी के खिलाफ केन्द्र और राज्य सरकार का पुतला फूँका

रांची : झारखण्ड साझा जन संघर्ष अभियान में एस.यू.सी.आई.(सी), सी.पी.आई.(एमएल), समाजवादी जन परिषद, जन मुक्ति संघर्ष वाहिनी और नव जनवादी चेतना मंच शामिल है। इसने 30 जुलाई को रांची के एल्बर्ट एक्का चौक पर बिजली दरों तथा पैट्रो-उत्पादों के मूल्यों में की गई अभूतपूर्व व अनैतिक वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया तथा राज्य व केन्द्र सरकार का पुतला फूँका।

एस.यू.सी.आई.(सी), रांची जिला सचिव कॉमरेड सिद्धेश्वर सिंह ने पुतले को आग लगाई। वहीं पर एक सभा हुई जिसकी अध्यक्षता एस.यू.सी.आई.(सी) के रांची कार्यालय सचिव कॉमरेड अशोक सिंह ने की। अन्य चार पार्टियों के नेताओं के अलावा एस.यू.सी.आई.(सी) की ओर से कॉमरेड सिद्धेश्वर सिंह ने सभा को सम्बोधित किया। पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोगों ने भी सभा में हिस्सा लिया।

उ.प्र. आशा कर्मियों ने किया अपनी माँगों को लेकर प्रदर्शन

माती(रमाबाईनगर), उ.प्र. : 26 जुलाई को यहाँ उ.प्र. ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्त्री आशा यूनियन की राज्य कमेटी के नेतृत्व मे रमाबाई नगर जिले के सभी 10 ब्लाकों से आई 500 से भी अधिक आशा कर्मियों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी रमाबाई नगर के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। दोपहर 12 बजे सभी ब्लाकों से आई आशा कर्मी एस.पी. आवास तिराहे पर एकत्रित हुई। वहाँ से जुलूस बनाकर एवं नारे लगाती हुई डी.एम. कार्यालय होते हुए सी.एम.ओ. कार्यालय पहुँची। जहाँ पहुँचकर जुलूस एक सभा में तब्दील हो गया। सभा की अध्यक्षता यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वालेन्द्र कटियार ने की। सभा को यूनियन की महामंत्री अर्चना भोंसले, राज्य कमेटी सदस्या सुशीला कुशवाहा एवं रमाबाई नगर की नेत्रियों, राजपुर ब्लाक की किरन कटियार एवं सरिता देवी, सन्दलपुर ब्लाक की ममता दुबे एवं सन्ध्या देवी, अमरौधा ब्लाक की उर्मिला कटियार एवं छुन्नी गुप्ता, मलाशा ब्लाक की जगदम्बा देवी, सरवन खेड़ा ब्लाक की विमलेश कुमारी, अकबरपुर ब्लाक की शारदा देवी एवं माया देवी, डेरापुर ब्लाक की मिथलेश, मैथा ब्लाक की रेखा पाण्डेय एवं लक्ष्मी तिवारी आदि ने सम्बोधित किया।

एआईयूटीयूसी के प्रदेश उपाध्यक्ष कॉ. धर्मदेव एवं एसयूसीआई.(सी) उ.प्र. राज्य कमेटी सदस्य का. सपन चटर्जी सहित सभी वक्ताओं ने एक स्वर में स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की कड़ी निन्दा की। उन्होंने आशा कर्मियों से आम जनता के साथ मिलकर एक ताकतवर जनआंदोलन का निर्माण करने का आग्रह किया ताकि स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। अन्त में समस्याओं के निस्तारण हेतु एक 11 सूत्रीय ज्ञापन मुख्य चिकित्साधिकारी को दिया गया।

मेडिकल कैम्प आयोजित

इन्दौर : स्थानीय मयूर नगर के आइडियल पब्लिक स्कूल में मेडिकल सर्विस सेन्टर और भगतसिंह मंच के सामूहिक प्रयास से निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इसमें लगभग 150 मरीजों का निशुल्क उपचार किया गया। इसमें डॉ. रमेश कोचले, भवेश क्लीनिक विधुर नगर, डॉ. भवानी शंकर सेन, दिव्य ज्योती पोली क्लीनिक, डॉ. संजय झाला, संतोषी क्लीनिक, मूसाखेडी ने निशुल्क सेवायें दी। मेडिकल रीप्रजेन्टेटिवों के सहयोग से कैम्प में कई दवायें मरीजों को मुफ्त दी गईं। कैम्प संयोजक कु. वाणी जाधव, शेखर जाधव, शरद मालवीय, जितेन्द्र झाला, भागीरथ सोलंकी, संतोष मीणा का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ।

एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) ने माँग की बिहार विद्युत बोर्ड के विखंडन का प्रस्ताव निरस्त करो

पटना : बिहार विद्युत बोर्ड को विखंडित करने के विद्युत विभाग के प्रस्ताव पर सख्त एतराज जताते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) ने इसकी घोर भर्त्सना की है। इस जनविरोधी प्रस्ताव के विरोध में 19 जुलाई को एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पटना जिला कमिटी के तत्वावधान में आज पटना जंक्शन गोलम्बर पर विद्युत विभाग के प्रस्ताव का पुतला जलाया गया और तत्पश्चात् एक सभा आयोजित की गयी। सभा को एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) राज्य कमिटी के वरिष्ठ सदस्य शिवलाल प्रसाद, मणिकांत पाठक, जिला सचिव साधना मिश्रा, जिला कमिटी सदस्य सूर्यकर जितेन्द्र, अनिल कुमार, अनामिका आदि ने संबोधित किया।

बेदखली के खिलाफ बस्ती बचाओ संघर्ष समिति द्वारा 'जनता दरबार' का आयोजन

रांची : 22 गाँवों और एच.ई.सी एरिया में शुरू होने जा रहे बेदखली अभियान के खिलाफ बस्ती बचाओ संघर्ष समिति द्वारा 27 जुलाई को रांची के जगन्नाथपुर चौक पर 'जनता दरबार' का आयोजन किया गया। इन इलाकों के बाशिंदों के सवालों का जवाब देने के लिए विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के नेतागण मौजूद थे। कांग्रेस की ओर से सांसद सुबोधकांत सहाय के प्रतिनिधि के तौर पर सर्व श्री उमाशंकर सिंह, भाजपा के उपाध्यक्ष दीपक प्रकाश, झारखण्ड विकास मंच (जे.वी.एम) के नेता और डिप्युटी मेयर अजयंत शहदेव, मेयर रमा खलखो, ए.जे.एस.यू. के नेता नवीन जयसवाल, एस.यू.सी.आई.(सी) की ओर से कॉ.रबिन समाजपति, सी.पी.आई. के नेता सच्चिदानंद मिश्रा, सीपीएम नेता प्रफुल्ल लिंडा, सी.पी.आई.(एम.एल)-लिबरेशन की ओर से भुवनेश्वर केवट, सीपीआई (एमएल) के नेता शंभुनाथ महतो, समाजवादी जन परिषद की ओर से चन्द्रभूषण चौधरी मौजूद थे। काँग्रेस, भाजपा, ए.जे.एस.यू जैसी सत्ताधारी पार्टियों के सभी नेताओं ने कहा कि वे गरीबों के साथ हैं और उनकी बेदखली नहीं चाहते हैं। वे केन्द्र और राज्य सरकार से इस समस्या के समाधान के लिए वार्तालाप कर रहे हैं। एस.यू.सी.आई.(सी), सीपीआई, सीपीआई(एम), सीपीआई(एमएल)-लिबरेशन, सीपीआई(एमएल) और समाजवादी जन परिषद के नेताओं ने कहा कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और एच.ई.सी प्रबंधन इस समस्या के लिए बराबर के जिम्मेदार हैं। वे एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं ताकि बस्तियों को ढाहने के आरोप से बचा जा सके।

एस.यू.सी.आई.(सी) झारखण्ड राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड रबिन समाजपति ने बताया कि इस तथाकथित अवैध कब्जा-विरोधी अभियान के खिलाफ पिछले छह सालों से बस्ती बचाओ सघर्ष समिति सशक्त जन आन्दोलन का निर्माण कर रही है, इन निरंतर आन्दोलनों का ही परिणाम है कि प्रशासन गरीब लोगों के आशियानों को उजाड़ नहीं सका। उन्होंने आगे कहा कि बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के नेताओं के साथ इस समस्या को सुलझाने के लिए सकारात्मक बातचीत की जानी चाहिए। उन्होंने माँग की कि कमेटी के नेताओं के खिलाफ हत्या के प्रयास, चोरी, दंगा आदि के झूठे आरोप लगाकर दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. तुरंत वापस ली जाएं। हजारों लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

बिजली की बढ़ी दरों का महिलाओं ने किया विरोध

ग्वालियर : बिजली की बढ़ती दरों एवं अनियमित कटौती व अनियमित आंकलित खपत के विरोध में ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन द्वारा क्षेत्र गेंड़े वाली सड़क पर आम महिलाओं एवं नागरिकों द्वारा रैली निकालकर स्थानीय बिजली अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया।

इस आंदोलन के प्रभाव से 13 जुलाई को क्षेत्र में ही स्थानीय बिजली अधिकारी के साथ आम नागरिकों की मीटिंग में नागरिकों ने अपनी समस्याएं रखी एवं इसके बाद स्थानीय बिजली अधिकारी के द्वारा आंकलित खपत, बिजली बिलों में धांधली की समस्या पर कार्यवाही कर आंकलित खपत को खत्म कर दिया एवं चार महीने में कटौती बंद करने का आश्वासन दिया।

मीटिंग पर गेंड़े वाली सड़क की प्रभारी डॉ. सुनिधी राजपूत, एआईएमएसएस की जिला अध्यक्ष डॉ. आभा भुवरकर, डॉ. मनस्वी, डॉ. सुचेता, श्रीमती महादेवी, श्रीमती रामकली एवं लक्ष्मी जी भी उपस्थित थीं।

श्रीकाकुलम में जमीन बचाने की लड़ाई

सिंगूर के किसानों की तरह ही आन्ध्रप्रदेश के श्रीकाकुलम के किसान और मछुआरे अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्षरत हैं। कृषि और पर्यावरण को तबाह कर थर्मल पावर प्लांट लगाने के नाम पर 750 एकड़ जमीन नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी ले लेना चाहती है। इसी के खिलाफ है किसानों की यह संगठित लड़ाई।

श्रीकाकुलम से संलग्न कच्छभूमि प्रकृति की एक सौन्दर्यमय सृष्टि है। यह कच्छभूमि न केवल 32 गाँवों के लिए पेयजल का स्रोत है, बल्कि हजारों किसानों और खेतमजदूरों की रोजी-रोटी इसी जमीन पर निर्भर है। इसके अलावा इससे कई पशु पालकों की रोजी-रोटी और गुजर बसर चलती है। यह स्थानीय गोलागांधी गाँव के 400 मछुआरे परिवारों की आजीविका का भी साधन है। इस जमीन की 725 एकड़ जगह पर साल में दो बार चावल की खेती होती है जो वहाँ की प्रमुख फसल है। काफी सारी जमीन में तरह-तरह की सब्जियाँ उगाई जाती हैं। 25 एकड़ जगह पर तरह तरह के गुल्म वृक्षों का एक जंगल है, जिसका स्थानीय नाम 'पामूला मेटा' है। यहाँ 118 किस्म के प्रवासी और कुछ स्थायी निवासी विरली प्रजातियों के पक्षी पाये जाते हैं, अजगर सहित विभिन्न विषधर और जलज साँप, जंगली सुअर, गीदड़, भालू आदि लुप्तप्राय प्राणी रहते हैं। पर्यावरण और प्रदूषण की रोकथाम करने वाले यहाँ के वास्तुतंत्र को ध्वस्त कर किसान-खेत मजूदरों, पशु पालकों, मछुआरों की आजीविका के साधन को नष्ट कर नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (एनसीसी) यहाँ कोल बेसिन थर्मल पावर प्लांट लगाना चाहती है। इस उद्देश्य से उन्होंने 2009 के 18 अगस्त को कच्छ भूमि से लगते गोलागांधी गाँव में एक जन सुनवाई आयोजित की। वहाँ इस गाँव के 70 फीसदी लोगों ने थर्मल पावर प्लांट लगाने के खिलाफ मत दिया था। लेकिन एनसीसी जनमत की उपेक्षा करके ही सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार की मदद से जमीन हथियाने की फिराक में है।

स्थानीय लोगों ने जन आंदोलन चलाने के लिए सिंगूर-नंदीग्राम की तर्ज पर 'पर्यावरण परिरक्षा संगम' (पीपीएस) नामक जन कमेटी गठित कर ली। मीटिंग-जुलूस-प्रशासनिक स्तर पर डेपुटेशन-बंध वगैरह करते हुए आंदोलन शुरू हुआ। 4 दिसम्बर से रिले अनशन शुरू हुआ जो अब तक जारी है। एनसीसी की मैनेजमेन्ट द्वारा 30 अप्रैल, 2010 को अपनी पूर्व परिकल्पना के अनुसार थर्मल पावर प्लांट का काम शुरू किये जाने पर इलाके के लोगों ने बाधा डाली। 14 जुलाई को आंध्रप्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा 3000 पुलिस वाले तैनात कर इस कम्पनी के लिए जमीन दखल करना शुरू होने पर जनता के साथ पुलिस की भिड़ंत हुई, एक हजार से भी ज्यादा लोग घायल हुए और दो किसान पुलिस की गोलीबारी में मारे गये।

आंदोलन में मारे गये लोगों की याद में खून से सनी इस कच्छभूमि की माटी पर पीपीएस ने शहीद स्तम्भ स्थापित किया। शहीदों की याद में 14 जुलाई को इस शहीद स्तम्भ का उद्घाटन किया गया। इस उपलक्ष्य में एक जनसभा भी हुई। दस हजार से ज्यादा स्थानीय लोग इसमें शामिल हुए। सभा में पीपीएस के अध्यक्ष डॉ. कृष्णमूर्ति, सहसचिव टी रामाराव, आंध्रप्रदेश के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, जाने-माने अभिनेता आर नारायण मूर्ति आदि प्रमुख वक्ता थे। इस सभा में सिंगूर कृषि जमीं रक्षा कमेटी की अन्यतम संगठक और एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पार्टी की सदस्य कॉमरेड अमिता राय आमंत्रित थी। आंदोलन के प्रति एकजुटता का इजहार करते हुए और सिंगूर के अनुभव बताते हुए उन्होंने कहा कि सही रास्ता निर्धारित कर जन आंदोलन चला पाने से आंदोलन की जीत होगी ही। तिभागा, सिंगूर, नन्दीग्राम, नर्मदा यही सीख देते हैं। आज आपने जनआंदोलन का एक प्रेरणादायक प्रतीक जो शहीद स्तम्भ स्थापित किया है वह देश के सभी लोगों के लिए वर्तमान में और भविष्य में जनआंदोलन निर्मित करने के मामले में साहस प्रदान करेगा, प्रेरणा देगा।

...परिचर्चा

(पृष्ठ 3 का शेष)

दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बराबरी और सामाजिक न्याय की बातें भी वर्ग अवधारणा से जुड़ी होती हैं। इसलिए हमें विकास को देखने का नजरिया विकसित करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश की मौजूदा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इस कगार पर आ पहुंची है कि इसमें सामान्य आय भी सृजित नहीं हो पा रही है। यह अर्थव्यवस्था अमीरों के उपभोक्तावादी रुझान पर आधारित है। सामाजिक जीवन पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आज लोगों के जीवन में चैन नहीं है, निश्चितता नहीं है। लोगों को जीने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। इसलिए विकास के दावों और हकीकतों पर चर्चा करने के साथ-साथ हमें अपने हक-अधिकार के लिए प्रतिरोध के स्वर भी बुलंद करने होंगे।

आई.एम.ए. हॉल में आयोजित परिचर्चा को संबोधित करते हुए प्रो. विनय कुमार कंठ ने कहा कि विकास न्याय के साथ होना चाहिए। विकास को सिर्फ जीडीपी के रूप में ही नहीं, बल्कि गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और राजनैतिक स्वतंत्रता के संदर्भ में देखना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से विकास की विभिन्न अवधारणाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि विकास-दर में बढ़ोतरी की बात 70 के दशक में ही खारिज कर दी गयी थी। विकास स्थायी होना चाहिए और बहुसंख्यक जनता के पक्ष में होना चाहिए।

एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) बिहार राज्य कमिटी के वरिष्ठ सदस्य कॉ. अरुण कुमार सिंह ने परिचर्चा की अध्यक्षता करते हुए कहा कि देश में 77 फीसदी लोग 20 रुपये से कम दैनिक आमदनी पर जीने को विवश हैं। दूसरी तरफ देश के चोटी के सौ अमीरों की कुल सम्पत्ति लगभग 13 लाख करोड़ रुपये है जो देश की जीडीपी के एक चौथाई के बराबर है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि पूंजीपतियों को आर्थिक पैकेज के रूप में दी है। जबकि गरीबों को सब्सिडी पर मिलने वाले किरासन तेल, डीजल, पेट्रोल से लेकर खाद, बीज, कीटनाशक, राशन की जन वितरण प्रणाली से मिलने वाले अनाज आदि पर से सब्सिडी खत्म कर महंगे दामों में खरीदने को मजबूर किया जा रहा है। सुशासन और विकास का राग अलापने वाली राज्य सरकार के जनविरोधी कदमों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सूबे में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि में निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और इन विभागों में जो भी नई नियुक्तियाँ हो रही हैं वे नियमित नहीं, बल्कि ठेके पर हो रही हैं। राज्य सरकार भूमंडलीकरण, निजीकरण की प्रक्रिया को देर से ही सही, पर तेजी के साथ राज्य में लागू कर रही है। विकास हकीकत में नहीं, बल्कि आंकड़ों में हो रहा है। सरकार ने 2005 से लेकर 2009 तक विज्ञापनों पर 447.9 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है। लगता है सरकार विज्ञापनों के जरिये राज्य का विकास करा रही है। इस तरह केन्द्र व राज्य सरकार के विकास के दावे खोखले और निराधार हैं, जबकि हकीकत यह है कि आम जनता की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है।

परिचर्चा को प्रो. देवेन्द्र प्रसाद, प्रो. संतोष कुमार, डा. अरविन्द सिन्हा, मीरा दत्ता, इंदिरा लक्ष्मी आदि ने भी संबोधित किया। इस मौके पर फिलीप मंथरा, प्रो. डेजी नारायण, प्रो. आर. बी. सिंह, रामचन्द्र लाल दास, प्रियदर्शी, रूपेश कुमार, आर. एन. झा. नरेन्द्र कुमार, साधना मिश्रा, मधु आदि मुख्य रूप से शामिल थे।

काले धन का गंभीर खतरा...

(पृष्ठ 2 का शेष)

फटकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चिन्ता जतायी ''उन गतिविधियों की प्रकृति के बारे में जिन्हें ऐसा धन जन्म दे सकता है, आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण को लेकर और इस तथ्य को लेकर कि ऐसा धन ऐसे ग्रुपों और व्यक्तियों के हाथ लग सकता है जो इसे उन गैरकानूनी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो राज्य-विरोधी कार्रवाइयाँ होने के साथ ही देश के लिए बेहद खतरनाक भी हैं।''

सुप्रीम कोर्ट की इन चिन्ताओं के अलावा, काला धन देश में पैसे के सरकुलेशन को प्रभावित कर सकता है और इस तरह देश के आर्थिक जीवन में तबाही ला सकता है इस पर और इस गंभीर खतरे की कारगर ढंग से रोकथाम करने के लिए सरकार कैसे हस्तक्षेप कर सकती है या कैसे करना चाहिए-इस पर भी चन्द बातें यहाँ बताने की जरूरत है। अगर इसके सैद्धांतिक पहलू के बारे में संक्षेप में थोड़ा जिक्र कर लिया जाये, तो यह इस बिन्दु को समझने में मदद कर सकता है। हम जानते हैं कि मुद्रास्फीति का मतलब है आवश्यक चीजों की बेतहाशा बढ़ती महंगाई और आमतौर पर व्यवस्था में धन की बढ़ी हुई आपूर्ति के रूप में इसकी व्याख्या की जाती है। जैसाकि बुर्जआ अर्थशास्त्रियों ने परिभाषित किया है धन की आपूर्ति के तीन उपाय हैं। पहले उपाय में सरकुलेशन में जो करेन्सी है वह आती है। अगर सही-सही कहें तो यह उस सारे धन का प्रतिनिधित्व करती है जो तुरन्त भुगतान करने के लिए खर्च किया जा सकता है या नकद में फटाफट बदला जा सकता है। दूसरे उपाय में वह सब आता है जो पहले उपाय में था और प्लस वह जो बचत खातों और समयावधि वाले खातों, रीप्रचेज एग्रीमेन्टों और मनी मार्केट के जमा खातों में होता है। तीसरे उपाय में वह धन आता है जो तकनीकी तौर पर ब्रॉड मनी कहलाता है जिसमें दूसरे उपाय में जो धन शामिल था उसके साथ-साथ बड़े-बड़े उद्योगपतियों और कार्पोरेट घरानों द्वारा रखे गये जमा खातों और मनी मार्केट में बैलेन्सों के बड़े-बड़े सर्टिफिकेट आते हैं। धन की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ी मुद्रास्फीति या महंगाई धन आपूर्ति में बढ़ोतरी की दर से तय होती है जो ज्यादातर दूसरे उपाय में आता है। लेकिन दूसरा उपाय कानूनी टेण्डर मनी प्लस चेकेबल जमा खातों को हिसाब-किताब में लेता है। भारी मात्रा में काले धन का सरकुलेशन इस उपाय में नहीं आता है। इसलिए अधिकारिक उपाय वास्तविक पोजीशन की झलक पेश नहीं करते हैं और इसलिए हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। देश का केन्द्रीय बैंक धन की आपूर्ति को एक सीमा में बांधे रखने के लिए ब्याज दर, रेपो रेट या कमर्सियल बैंकों द्वारा रखी जाने वाली आवश्यक जमा राशि की मात्रा बढ़ाने के कदम उठाता है लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकलता है क्योंकि सरकारी आँकड़ों पर काला धन भारी पड़ जाता है । हिसाबी सफेद धन के साथ-साथ बेहिसाबी या काला धन कई मालों और सेवाओं का पीछा करता है। इसलिए मुद्रास्फीति दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है हालाँकि काले धन की भूमिका छिपी रहती है। इसी वजह से यह कहा जाता है कि काले धन की समानान्तर अर्थव्यवस्था चालू है और असल में यह कीमतों का उतार चढ़ाव तय करता है।

बुर्जुआ पैरोकारों द्वारा पेश की गई रद्दी दलीलें

चूँकि काले धन का अम्बार लगना कोई रहस्य की बात नहीं रही है और लोग इस गंभीर खतरे के बेरोकटोक बढ़ने पर लगातार नाराजगी जताते जा रहे हैं, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था के पैरोकार अब काले धन की कुछ उपयोगिताओं और इसके पैदा होने की अवश्यम्भाविता को सिद्ध करने पर उतारू हैं। इसलिए वे मीडिया और अन्य प्रचार माध्यमों के जरिये अपनी सफाई में इस तरह की ढेर सारी रद्दी दलीलें परोसते हैं कि 'कोई टैक्स देना नहीं चाहता' और ऊँची दर के टैक्सों और अन्य शुल्कों आदि से लोग इतने तंग हैं कि उदारीकरण से पहले के दौर के उद्योगपति और बिजनेसमैन अपने धन को निकाल कर भूमिगत कर दूसरी जगह, यहाँ तक कि विदेश में भेज देने में भी शायद ही दोषी होने के किसी ग्लानि भाव से ग्रस्त हों', इनके जरिए अपनी 'न्यायोचित गतिविधियों के लिए आवश्यक सरप्लस पैदा करने' की उनके पास 'बहुत अच्छी वजह' हैं। इसके अलावा, 'सुविधा शुल्क' या 'स्पीड मनी' या रिश्वत की माँग को ये ऊंचे टैक्स कम नहीं करते, जिसके लिए, फिर, काला, बेहिसाब धन विकल्प था। साथ ही, उद्योगपतियों और बिजनेसमैनों को 'स्टेट-ऑफ-द-आर्ट विदेशी तकनीक लाने या समुद्रपार विदेशों में संभावित बाजार तलाशने के लिए' विदेश यात्राएं करने की जरूरत पड़ती है और उन्हें मंजूरशुदा विदेशी मुद्रा विनिमय की जिस सीमा तक इजाजत है वह बस कुछेक दिनों के लिए वहाँ खाने-पीने और ठहरने के लिए काफी है, इससे ज्यादा नहीं है इसलिए 'बेचारे' बिजनेसमैन और उद्योगपति ऊंचे टैक्सों, रिश्वत की राशि देने के रूबरू हैं और विदेश की सरजमीं पर मनोरंजन के लिए उनके पास कोई प्रावधान नहीं है, उनके बचाव पक्ष के वकील यह दलील देते हैं कि विदेशों में कुछ पैसा रखने के सिवाय उनके पास और कोई चारा नहीं है जिसमें से काफी सारा पैसा जाहिर है कि बेहिसाब-किताब का है।

यह साफ जाहिर है कि ये सब रद्दी दलीलों के पुलिन्दे के सिवाय और कुछ नहीं हैं जो आर्थिक कारणों के नाम पर इसलिए पेश की गई हैं ताकि काले धन की उत्पत्ति के असली कारण को छिपाया जा सके। जितना पूँजीवाद सड़ता-गलता जा रहा है, उतना ही यह कायदे-कानूनों की धज्जियाँ उड़ाते हुए, उन्हें पैरों तले रोंदते हुए और उन्हें ताक पर रखते हुए अपने मरणासन्न विकृत अस्तित्व का जीवनकाल बढ़ाना चाह रहा है और इस तरह भ्रष्टाचार के दलदल में धंसता जा रहा है। पूंजीवादी व्यवस्था जो अधिकतम मुनाफा कमाने के मकसद पर टिकी हुई है वह तेजी से सारी शर्म-हय्या, हर तरह की स्वच्छता-सुचिता, न्याय-नीति और जवाबदेही से अपना पल्ला झाड़ती जा रही है। जिस किसी भी कल्पनीय ढंग से, बिना किसी शर्म-हय्या के, बिना किसी स्वच्छता-सुचिता, न्यायनीति या जवाबदेही के धन बटोरना और इसे संरक्षित रखना–जीवन का आदर्श बन गया है। धन का यह लालच ही पतनशील पूंजीवाद का खास लक्षण है जो काले धन को जन्म दे रहा है और इसकी उत्पत्ति को बढ़ावा दे रहा है। जो कोई व्यक्ति सत्ता-सुख के लिए इस व्यवस्था की सेवा करने का रास्ता चुनता है, चाहे वह सत्ताधारी राजनेता हो या विपक्ष में बैठा नेता हो या कोई अफसरशाह हो या कोई उद्योगपति या व्यापारी हो, वह इस प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन जाता है जो काले धन के इस दानव को जन्म देती है और इसकी रक्षा करती है। इसलिए बहुसंख्यक मेहनतकश जनता को ठग कर और उन्हें वंचित करके अकूत धन के अम्बार लगाने के लिए शासक दमनकारी पूंजीपति वर्ग और इसके ताबेदार राजनेता, अफसरशाह और उनके अन्य सहयोगी मजे से हर गैरकानूनी, अवैध या आपराधिक कार्रवाई का सहारा ले रहे हैं। जहाँ बेईमान उद्योगपतियों और व्यापारियों, घोटालेबाज राजनेताओं और भ्रष्ट आईएसएस, आईआरएस, आईपीएस अफसरों ने विदेशी बैंकों में 1.5 ट्रिलियन डॉलर चोरी का धन जमा कराया हुआ है, वहीं 77% देशवासी ऐसा जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं जो मनुष्य से भी इतर है। यही है आज मरणासन्न पूंजीवाद का घिनौना चेहरा।

दरअसल, काले धन की समस्या ने प्लेग की तरह सारी पूंजीवादी दुनिया (पूर्व समाजवादी देशों सहित जो अब पूंजीवादी हो गये हैं) को अपनी चपेट में ले लिया है। कुछ अनुमानों के अनुसार एक तरफ कार्पोरेशन और दूसरी तरफ राष्ट्र अध्यक्ष आये साल एक ट्रिलियन डालर काले धन को पनपाते हैं। कुछ दिनों पहले, मार्च 2005 में, टैक्स जस्टिस नेटवर्क (टीजेएन) ने एक शोध के निष्कर्ष छापे थे जिनमें दिखाया गया था कि 11.5 ट्रिलियन डालर व्यक्तिगत धन दुनियाभर के अमीरों द्वारा गुप्त रूप से जमा कराया गया। इस शोध की जाँच-पड़ताल का अंदाजा है कि इस धन के ज्यादातर हिस्से का बन्दोबस्त करीब 70 टैक्स हैवनों द्वारा किया गया था। इसने यह भी अंदाजा लगाया था कि दुनिया की 1% आबादी के पास दुनिया के कुल धन का 57% है, जो लोग इसे निरपवाद रूप से इन टैक्स हैवनों के मार्ग से भेज रहे हैं। समूची पूंजीवादी दुनिया जो घोर भ्रष्टाचार का ही दूसरा नाम है, उसके इस परिदृश्य में यूरोपीय बैंकों में बेहिसाब-किताब वाले धन के खातों की मात्रा के बारे में इंगित करने वाले तथ्य से यह साफ जाहिर है। दूसरी तरफ, पूर्ववर्ती समाजवादी देश भी काले धन की इस समस्या को पूरी तरह दूर नहीं कर सके थे हालांकि आधुनिक संशोधनवाद का ग्रहण लगने तक भ्रष्टाचार के उन्मूलन की दिशा में वे लम्बा रास्ता तय कर चुके थे।

जब से पूंजीवादी भूमण्डलीकरण चालू किया गया है, तब से तो हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है क्योंकि उदारीकरण ज्यादा से ज्यादा होने से काला धन बढ़ोतरी ने जोर पकड़ लिया है। यह साबित करता है कि ऊंची टैक्स दरें या कड़े नियंत्रण काले धन की उत्पत्ति के असली कारक नहीं थे। उदारीकरण में कई दशक हम पार कर चुके हैं, नियंत्रण ढीले किये गये हैं; आयात आसान किये गये हैं; 'कानून अब पहले से ज्यादा नरम पड़ गये हैं; टैक्स रेट दुनिया में तुलनात्मक रूप से सबसे कम लगाये हुए हैं'। हालाँकि, 'बेतुके कानूनों' को घुमा-फिरा कर अपने फायदे में इस्तेमाल करने का बिजनेसमैनों और उद्योगपतियों द्वारा अपनाया गया दस्तूर उदारीकरण के दिनों में भी बरकरार है। रियायतों के बावजूद आयातक अभी भी अपने लदान का कम रकम का बीजक बनवाते हैं, जबकि निर्यातक ज्यादा रकम का बीजक बनवाते हैं, बेहिसाब धन को पैदा कर रहे हैं। यह बेहिसाब धन 'सुविधा शुल्क', या स्पीड मनी, कट मनी या रिश्वत देने के लिए मजे से इस्तेमाल किया जाता है। रीयल एस्टेट में हाल ही में आयी तेजी ने काले धन के संचय और इस्तेमाल में भी तेजी ला दी है। लगभग हर किसी उद्योग या बिजनेस के लिए फर्जी हिसाब-किताब वाले दोयम दर्जे के बहीखाते बनाये रखना आज एक दस्तूर बन गया है क्योंकि काले धन में लेन-देन और खातों को दबा-छिपाकर या कागजी खाना पूर्ति करके ढकना मरणासन्न पूंजीवाद में बिजनेस चलाने का एक तौर-तरीका बन गया है।

पूंजीवादी सरकार की घृणित भूमिका

ज्यों-ज्यों दिन गुजरते जा रहे हैं, त्यों त्यों पूंजीवाद और भी ज्यादा प्रतिक्रियावादी, दमनकारी, क्रूर और भ्रष्ट होता जा रहा है। इसी वजह से पूंजीपति वर्ग की स्वार्थ रक्षक सरकार व प्रशासन मंडली लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी व जवाबदेही से और भी पल्ला झाड़ लेती जा रही है। काले धन के गंभीर खतरे से निपटने के मामले में भी यही बात सच है। काले धन की बढ़ोतरी को रोकने के लिए कोई कारगर कदम उठाने की बजाय, चाहे किसी भी राजनैतिक रंगत की सरकार रही हों, एक पर एक आने वाली सभी पूंजीवादी सरकारों ने काला धन जमा रखने वालों से स्वेच्छा से अपना काला धन उजागर करने को कहने का घिनौना तरीका ले लिया है जिसका मतलब सिर्फ यही था कि लोगों की आँखों में धूल झोंकी जाये और उन्हें काले धन का विरोध करने के रास्ते से भटका दिया जाये। अगर सरकार चाहे, तो इसके खुफिया तंत्र के जरिए अपराधियों की आसानी से पहचान की जा सकती है, उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है और ऐसे आपराधिक कर्मों के लिए उन्हें कड़ी सजा दी जा सकती है। इस प्रकार भ्रष्ट कार्पोरेट सेक्टर-राजनेताओं-पुलिस-प्रशासन-स्मगलरों के नापाक गठजोड़ पर एक जबरदस्त प्रहार किया जा सकता है।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

काले धन का गंभीर खतरा...

(पृष्ठ 6 का शेष)

सरकार करन्सी नोटों का विमुद्रीकरण यानी करन्सी के किसी खास रूप के उत्पादन और परिचालन को बंद करने की प्रक्रिया जैसे प्रशासनिक कदम उठा सकती हैं। सरकार की ओर से इसकी बजाय, काला धन रखने वालों और काले धन के धंधेबाजों को उनके निन्दनीय अपराध की लीपापोती करने का मौका दिया जाता है और इस तरह उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, लेकिन वह उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही नहीं कर सकती, वैसा करने की धमकी भी नहीं दे सकती क्योंकि सरकार खुद एकाधिकारी पूंजीपतियों, उद्योगपतियों और काला धन रखने वालों की है। सरकार महज यही कर सकती है कि इन फ्रॉड करने वालों से अपने गैरकानूनी धन को प्रकट करने की उनसे समय समय पर अपील करती रहे जिसे जाहिर है कि वे मनचाही हद तक ही प्रकट करते हैं और फिर सरकार इसे सफेद धन बना देती है।

काला धन रखने वाले अपना काला धन स्वेच्छा से प्रकट कर दें–इस तरह के छह कार्यक्रम 1960 के दशक से एक पर एक बनी सरकारों ने थोड़े-थोड़े समय के अन्तराल पर चलाये थे। हालाँकि इस तरह काला धन प्रकटीकरण की मात्रा गलत तरीकों से प्राप्त कुल धनराशि का एक बहुत ही मामूली सा हिस्सा रही है, जबकि बेशर्म सरकारों ने इस पर खूब आनन्द मनाया और काला धन रखने वाले बड़े-बड़े लोगों की तिजोरियों से धन निकलवाने में मिली कामयाबी के तौर पर इसका बड़ा ढिंढोरा पीटा। इसने केवल यही दिखा दिया कि काला धन कितना मजबूत और लापरवाह हो चुका है। इस तरह प्रकट किये गये थोड़े से गैर कानूनी धन के राजस्व उगाही में बढ़ोतरी दिखाने के लिए सरकार द्वारा बाकायदा सफेद बनाया गया। सचमुच अविश्वनीय लगता है! चोर-लूटेरों के गिरोह जिसने गैर कानूनी तरीकों से जनता के धन का गबन किया है और इसे अपने वारे-न्यारे करने के लिए इस्तेमाल किया है, उन चोर-लूटेरों से पुरजोर अपील की गई कि वे स्वेच्छा से अपने बेहिसाब धन को उजागर कर दें और फिर इस अपील का प्रत्युत्तर देने पर परोक्ष रूप से उनकी पीठ थपथपाई गई। उसके अलावा, यह भी साफ जाहिर है कि ये कानून तोड़ने वाले और अपराधी तत्व अपनी काली कमाई को उजागर नहीं करते और करते हैं तो केवल अपने मन मुताबिक इसके एक मामूली से भाग को ही उजागर करते हैं। फिर, इस थोड़े से धन पर और उससे होने वाली आय पर भी सालों साल से अब तक जिस बकाया टैक्स का अम्बार लग चुका है, वह टैक्स भी माफ कर दिया जाता है। जिन गुण्डे-बदमाशों ने करोड़ों लोगों की भूख की कीमत पर व्यापार किया और करते जा रहे थे उन्हें उनके 'नेक चालचलन', सरकार की पुकार पर दिखाई 'आज्ञाकारिता' और 'देशभक्तिपूर्ण उद्देश्य' के लिए रातोंरात हीरो बना दिया गया। इससे बड़ा क्रूर मजाक और क्या हो सकता है!

यह भी गौरतलब है कि सरकार पाखण्ड और बेशर्मी की ऐसी अविजित चोटी पर पहुँच चुकी है कि हाल ही में भारत के 'अर्थशास्त्री', 'भद्र' प्रधानमंत्री ने अपने केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के भ्रष्टाचार के आरोपियों के लिए सार्वजनिक तौर पर सफाई दी और भ्रष्टाचार व काले धन के मुद्दों को उछालने पर मीडिया के एक हिस्से के खिलाफ जहर उगला और गुस्सा जताया। धन की हेराफेरी करने वालों, सार्वजनिक कोष का गबन करने वालों, टैक्स चोरी करने वालों और अपराधियों को उनमें और उनकी सरकार में उन्हें बचाने वाला एक 'मसीहा' यकीनन नजर आया होगा।

जन आंदोलन के जरिए लोग दबाव बनायें

इसलिए हम एक बार फिर यह बात दोहरा दें कि भारत की इस पूंजीवादी व्यवस्था में, या इस मामले में कमोबेश हद तक किसी भी पूंजीवादी देश में काला धन और पूंजीवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हो गये हैं। राजसत्ता व शासन की बागडोर संभालने वाली सरकार की तमाम एजेंसियों और जब कभी संभव हो सत्ता की कुर्सी पर बैठने की अपनी बारी आने के इन्तजार में बैठी बड़ी-बड़ी संसदीय विपक्षी पार्टियों, अफसरशाहों, मीडिया के ताकतवर हिस्सों और अर्थशास्त्रियों, राजनैतिक व सामाजिक टिप्पणीकारों जैसे अकादमीशियनों ने एक जमघट बनाकर हाथ मिला लिये हैं ताकि वे ये देखें कि मुख्यतः कहीं काले धन के अम्बार लगने की इस प्रक्रिया में विघ्न न पड़े। दरअसल, काला धन, पूंजीपति वर्ग, पूंजीवादी सरकार–ये सब अब एक ही सत्ता में समा गये हैं। यहाँ तक कि विपक्षी पूंजीवादी पार्टियाँ भी जो अब काले धन के खिलाफ चिल्लपों मचा रही हैं और विदेशों में जमा किये गये काले धन को बरामद करने के लिए तुरन्त कार्रवाई करने की माँग कर रही हैं, न तो गंभीरता से उनका ऐसा कोई आशय है और न ही वे खुद इस काले धन से मुक्त हैं। हर किसी को याद होगा कि पूर्व बीजेपी अध्यक्ष नकद रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गये थे। सीपीआई(एम), सीपीआई जैसे स्वयंभू मार्क्सवादियों के बारे में भी वही सच है जो अब शासक पूंजीपति वर्ग के बिल्कुल ताबेदार बन चुके हैं, जब कभी वे जन आक्रोश को भांप लेते हैं, तो काले धन के खिलाफ जबानी जमा खर्च करते हैं या इस मुद्दे से बचने के लिए पैर पीछे खींचने लगते हैं। उन्होंने काले धन के मुद्दे पर न तो कोई कारगर जनआंदोलन गठित किया और न ही ससंद के अन्दर कोई जोरदार आवाज बुलंद की, सिवाय कभी-कभार विशुद्ध रूप से संकीर्ण तुच्छ चुनावी नजरिये से लोग दिखावे के लिए हुंकार भरते रहते हैं जिससे किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है। जुडिसियल एक्टीविज्म यानी न्यायिक सक्रियता पर भी ज्यादा उम्मीदें बाँधने की कोई वजह नहीं है क्योंकि न्यायपालिका भी इस भ्रष्ट पूंजीवादी व्यवस्था का एक अभिन्न अंग होने के नाते इसकी अपनी पहले वाली प्रतिष्ठा का दर्जा नहीं रखती है और दरअसल खुद भ्रष्टाचार से अछूती रहने की स्थिति में नहीं है।

इस प्रकार यह साफ है कि जब तक पूंजीवाद को उखाड़ फेंक नहीं दिया जाता, तब तक काले धन के गंभीर खतरे से देश को निजात नहीं मिल सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तब तक लोग मूक दर्शक बने बैठे रहें। लोगों के पास एकमात्र यही चारा बचा है कि अपनी पाँते कस लें, लामबंद हो जायें और पूंजीवादी शासन की उन सब बुराइयों, कुकर्मों और दमन-उत्पीड़नों के खिलाफ सही नेतृत्व में देशव्यापी शक्तिशाली संगठित जनवादी आंदोलन गठित करें और काले धन की बेलगाम उत्पत्ति सहित शासकों की अन्य काली करतूतों और बुरे कर्मों पर कुछ अंकुश लगाने के लिए आंदोलन के दबाव से उनको मजबूर कर दें।

कॉमरेड शिवदास घोष की...

(पृष्ठ 3 का शेष)

वे जिस तरह मामले को टैकल कर रहे हैं वह टैकलिंग पार्टी के सिद्धांत या पद्धति के अनुसार होना चाहिए–यानी वे एक कार्यकर्ता को टैकल करने के मामले में जो पद्धति अपना रहे हैं वह पार्टी द्वारा वैज्ञानिक तौर से स्वीकृत पद्धति होनी चाहिए। फिर, यह भी निश्चित रूप से समझना होगा कि इस टैकलिंग के अन्दर कुछ व्यक्तिगत मिला रहता है, जो टैकल कर रहे हैं यह उनका खुद का है उनकी तरफ से वे उनके अपने अनुसार कर रहे हैं। लेकिन किसी समस्या को टैकल करने के मामले में, इससे संबंधित विषय किसी तरह से भी, पार्टी सिद्धांत या तजुर्बे से पूरी तरह जुदा महज किसी नेता का अपना व्यक्तिगत विचार या तरीका नहीं हो सकता है। इस तरह टैकलिंग का परिणाम यदि सरसरी तौर पर ठीक भी दिखाई दे, तब भी ऐसा करना उचित नहीं है। क्योंकि अच्छा परिणाम होने का मतलब आखिर तक परिणाम अच्छा ही रहेगा ऐसा नहीं है। अच्छा परिणाम हो रहा है सोच कर जो इस तरह समस्या का समाधान कर देते हैं, आखिर तक उसका ज्यादातर ही गलत नतीजा निकल जाता है। यही पार्टी का अनुभव है।

जिस कार्यकर्ता को टैकल किया गया है वह यदि बहुत खुश भी हो जाए, तो उससे ही बहुत बढ़िया टैकलिंग हुई है यह हमेशा प्रमाणित नहीं होता है। क्योंकि इनसान बहुत कारणों से खुश होता है। मान लीजिए, किसी ने एक काम ठीक से नहीं किया या उसका कोई एक आचरण ठीक नहीं हुआ। अब कोई यदि उस व्यक्ति को टैकल करने के नाम पर बातचीत के अन्दर उसके इस गलत काम या आचरण को ही तरह तरह से घुमा फिरा कर समर्थन करता जाता है और उससे वह व्यक्ति खुश होकर चला जाता है तब क्या यह कहा जा सकता है कि समस्या का समाधान हो गया? उसके खुश होने से क्या होगा? उसका सर्वनाश होगा। क्योंकि नाराज होने से खराब टैकलिंग हुई और खुशी होने से ही अच्छी टैकलिंग हुई–मामला ऐसा नहीं है। अच्छी टैकलिंग हुई-यानी आखिर तक टैकलिंग सार्थक हुई, इसका एक लक्षण यह है कि शुरूआत में नाराज होने पर भी वह चर्चा के अंत में खुश होकर जाता है। चर्चा के शुरू में यदि देखा जाए कि कोई नाराज या विक्षुब्ध हो रहा है या समझना नहीं चाह रहा है–इसका मायने है उसके खुद के अहंकार के साथ पार्टी की ध्यान-धारणा और अनुभव का विरोध हो रहा है। इसके बाद जब वह तर्क द्वारा विषय को सही-सही समझ पाता है तब खुश होता है। फिर ऐसा भी देखा जाता है कि कई व्यक्ति तर्क मान लेते हैं किन्तु खुश नहीं होते हैं। ऐसा होने पर समझ लेना होगा कि जो टैकल कर रहे हैं वे कुछ हद तक सफल हुए हैं लेकिन पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए हैं। यानी चर्चा के अंत में जिसके साथ चर्चा हो रही है वे वक्तव्य को ठीक मान लेते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई नहीं देती है–हतोत्साहित और गंभीर होकर वे उठ जाते हैं–तब समझना होगा जो टैकल कर रहे हैं वे कुछ हद तक सफल हुए हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। ये सब बातें हैं जिन्हें पारंगत तरीके से टैकल करने की पद्धति के रूप में नेताओं को ध्यान में रखना चाहिए। नेतागण यदि गुस्सा न होकर तर्क के आधार पर किसी के वक्तव्य को समझने का प्रयास करें तब वे उस कार्यकर्ता की गलती पकड़ सकते हैं और गलती पकड़ने से वे उनको सिखा सकेंगे और एक बात का ध्यान रखिएगा, गलती दिखा सकने पर वह नेता को भी गलती से ऊपर उठने में मदद करती है। द्वन्द्वात्मक वस्तुवाद की एक बात है, संघर्ष को छोड़कर किसी चीज का भी विकास नहीं होता है। नेता और कार्यकर्ता के अन्दर यदि वैचारिक संघर्ष न रहे तब नेताओं का विकास नहीं होता है, कार्यकर्ताओं का भी नहीं होता है।

कॉमरेड्स आज की परिस्थिति हमारे लिए कुछ कठिन प्रतीत होने पर भी क्रांतिकारी जानते हैं कि इस तरह की हजारों बाधा-प्रतिकूलताओं के बीच ही उन्हें काम करते जाना होगा। लेकिन तमाम बाधा-प्रतिकूलताओं के सामने, सटीक मूल राजनैतिक लाइन, सही क्रांतिकारी नेतृत्व और कष्टसाध्य संघर्ष अंत तक क्रांति को विजयी बनाएगा। इतिहास की सीख यही है। इसी शिक्षा को ध्यान में रखकर ही आप लोगों को धैर्य के साथ योजनाबद्ध तरीके से व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से काम करते जाना होगा, खुद की कमी-खामियों को सुधारते हुए निरंतर खुद की कार्य पद्धति को उन्नत व त्रुटिमुक्त करने का प्रयास करते रहना होगा।... दूसरी तरफ सैद्धांतिक मामले में जितना तीव्र और जितनी दूर तक आप निरंतर संघर्ष चला सकेंगे, आप मजदूर-किसानों और मेहनतकश जनता का चेतना का स्तर भी ऊँचा उठाने में मदद कर सकेंगे और जितनी तेजी से आप इस जिम्मेदारी को पूरा कर सकेंगे क्रांति का शुभ मुहूर्त भी उतना ही नजदीक आ जाएगा। मैं यही उम्मीद लेकर आज का अपना वक्तव्य समाप्त कर रहा हूँ कि आप इस चुनौती को तहेदिल से स्वीकार करेंगे और इस संघर्ष में अपनी तमाम शक्ति के साथ खुद को संलग्न करेंगे।''

'संयुक्त मोर्चा राजनीति और पार्टी के सांगठनिक क्रियाकलापों के कुछ पहलू' (चुनिंदा रचनाएं, अंग्रेजी संस्करण, खण्ड 3 से अनुदित)

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-12/1123/2009-2011
Posting at IPMBC on 7–8 and 22–23 of Every Month

फिलीपीन्स में साम्राज्यवाद-विरोधी सम्मेलन में एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) ने की शिरकत

मनीला में आयोजित 'इन्टरनेशनल लीग ऑफ पीपल्स स्ट्रगल' (आईएलपीएस) के चौथे सम्मेलन में एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड रणजीत धर और एआईडीवाईओ की अखिल भारतीय कमेटी के अध्यक्ष कॉमरेड बीआर मंजूनाथ ने शिरकत की। यह सम्मेलन 7-8 जुलाई को हुआ। सम्मेलन का विचारणीय विषय था 'उज्ज्वल भविष्य बनायें। विश्वव्यापी दीर्घस्थायी आर्थिक मंदी, राजकीय आतंकवाद और आक्रमणकारी युद्ध के माहौल से लेकर शोषण-उत्पीड़न के खिलाफ जनता को संगठित करें।' सम्मेलन में फिलीपीन्स, भारत, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, पूयर्तो रिको, गुआटेमाला, इक्वाडोर, अर्जेन्टीना, स्पेन, जर्मनी, नीदरलैण्डस, यूनान, मिस्र, सेनेगल, बुरुण्डी, कांगो, नेपाल, मलेशिया, इण्डोनेशिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, दक्षिण कोरिया, जापान और दूसरे कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ये लोग अपने-अपने देश की वामपंथी राजनैतिक पार्टियों और अन्य कई संगठनों की तरफ से आये थे।

सम्मेलन में मौजूद प्रतिनिधियों को अलग-अलग कुल मिला कर 18 कार्यशालाओं में बाँटकर 18 विषय लेकर चर्चा-बहस हुई। इनमें साम्राज्यवाद और युद्ध, विदेशी फौजी अड्डे, दुनिया के विभिन्न स्थानों पर गठित हुए प्रतिरोध संघर्ष, बहुराष्ट्रीय पूँजीपतियों के द्वारा किसानों की जमीन दखल, खाद-बीज संबंधी मसले, मजदूरों के अधिकार, शिक्षा का निजीकरण, नौजवानों की बेरोजगारी व अन्य समस्याएं, शिक्षकों की समस्याएं, सांस्कृतिक आन्दोलन संबंधी समस्या, स्वास्थ्य व्यवस्था का निजीकरण, बच्चों के अधिकारों का हनन आदि विषय उल्लेखनीय थे।

कॉमरेड रणजीत धर ने सम्मेलन की एक कार्यशाला में भाग लिया। इसका विचारणीय विषय था : 'साम्राज्यवाद के आक्रमणकारी युद्ध और प्रतिक्रांति के खिलाफ जनता की लड़ाई को तेज करें।'

नौजवानों की बेरोजगारी और दूसरी समस्याओं के बारे में हुई कार्यशाला में कॉमरेड मंजूनाथ ने भाग लिया। उन्होंने नौजवानों की समस्या के बारे में एआईडीवाईओ का विश्लेषण पेश किया। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और नये रोजगारों के सृजन के क्षेत्रों के निजीकरण की नीति चालू होने के बाद से किस तरह नौकरियों के अवसर लगातार घटते जा रहे हैं और नौकरी की सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं रही है–इसकी भी उन्होंने व्याख्या की। देहाती नौजवानों की समस्या और साम्राज्यवादी संस्कृति के हमलों के बारे में भी उन्होंने बात रखी। वहाँ जो लोग भी मौजूद थे उन्होंने उनकी बात का उत्साह के साथ समर्थन किया। फिलीपीन्स विश्वविद्यालय में आयोजित 'इन्टरनेशनल फेस्टीवल ऑफ पीपल्स राइट्स' में भी कॉमरेड मंजूनाथ ने भाग लिया।

हरेक कार्यशाला में पारित हुए प्रस्ताव और कार्यक्रमों की रूपरेखा पूर्णांग अधिवेशन में पेश की गई और सर्वसम्मति से पारित की गई। इसके बाद 'इन्टरनेशनल लीग ऑफ पीपल्स स्ट्रगल' के नये कार्य निर्वाहकों को चुना गया। अन्त में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। दुनियाभर में फैले हुए साम्राज्यवाद-विरोधी संगठनों की कोशिशें को संयोजित करके, उनमें तालमेल कायम करके मिलजुल कर साम्राज्यवाद के हर हमले को रोकने की शपथ सम्मेलन में मौजूद हरेक प्रतिनिधि ने ली। नेपाल के काठमाण्डु में आगामी 7-9 नवम्बर को होने जा रहे साम्राज्यवाद-विरोधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने की इच्छा भी उनमें से कई लोगों ने व्यक्त की।

हरियाणा कर्मचारियों की विशाल रैली

रिवाड़ी (हरियाणा) : यहाँ कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर 29 जुलाई को स्थानीय तुलाराम पार्क में संयुक्त कर्मचारी मंच के तत्वावधान में हरियाणा राज्य के सरकारी व अर्धसरकारी कर्मचारियों की एक विशाल संयुक्त रैली आयोजित की गई। सभा की अध्यक्षता हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच के प्रांतीय महासचिव मास्टर सूबे सिंह ने की और मंच का संचालन पी.डब्ल्यू.डी. मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के जिला प्रधान हरि सिंह मुलोधिया ने किया। सभी विभागों के रिक्त पद तुरन्त भरने, सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, निजीकरण, व्यापारीकरण पर रोक लगाने, पी.पी.पी. की स्कीम वापिस लेने, सभी कर्मचारियों को प्रतिमाह 1000 रुपये शिक्षा भत्ता देने, नई पेंशन नीति रद्द करने, पुरानी एक्स-ग्रेशिया नीति बहाल करने, आंगनवाड़ी वर्करों, आशा वर्करों, मिड-डे मील वर्करों, ग्रामीण चौकीदारों व डीटीएच चौकीदारों को घोषित न्यूनतम वेतन देने व सरकारी कर्मचारी घोषित करने, छठा वेतन आयोग केन्द्र की तर्ज पर लागू करने, ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमले बन्द करने, प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये अध्यापकों की नियम व शर्ते जारी करने व उनकी लीव, सैलेरी व पेंशन कन्ट्रीब्यूशन बारे स्थिति स्पष्ट करने आदि मुद्दों पर प्रदेशव्यापी संयुक्त कर्मचारी आन्दोलन गठित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया। सभा के बाद एक विशाल प्रदर्शन किया गया जिसका नेतृत्व हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच के अध्यक्ष करतार सिंह मलिक, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह राठी, महासचिव सूबे सिंह, प्रान्तीय चेयरमैन रामकिशन नागर, आंगनवाड़ी वर्करस व हैल्परस यूनियन की राज्य उप प्रधान पुष्पा दलाल, ग्रामीण चौकीदार सभा के राज्य प्रधान पंजाब सिंह, ए.बी.आर.सी. एसोसियेशन के हरिओम सिंह, आदि ने किया। सम्मेलन को मुख्य रूप से आंगनबाड़ी वर्करस व हैल्परस यूनियन की जिला रेवाड़ी की प्रधान राजबाला चौहान व सचिव कृष्णा यादव, जिला महेन्द्रगढ़ की प्रधान जनता यादव, समझ कौर, सन्तोष ढिल्लो, ग्रामीण चौकीदार सभा के प्रान्तीय प्रधान पंजाब सिंह, राज्य कोषाध्यक्ष रमेश निम्बल, जिला रेवाड़ी के प्रधान दुली चन्द इन्दौरा, एआईयूटीयूसी के प्रान्तीय नेता राजेन्द्र सिंह, ए.बी.आर.सी. एसोसियेशन के प्रधान हरिओम सिंह, संयुक्त कर्मचारी मंच के राज्य उप महासचिव मेहर सिंह बांगड़, आशा वर्कर्स यूनियन की जिला रेवाड़ी प्रधान राजबाला व सुषमा यादव, मिड-डे मील वर्कर्स यूनियन की जिला प्रधान सरला यादव व ममता, हरियाणा राज्य अध्यापक संघ जिला महेन्द्रगढ़ के सचिव सुरेश शास्त्री, हुड्डा यूनियन के प्रान्तीय चेयरमैन व संयुक्त कर्मचारी मंच के प्रान्तीय चेयरमैन रामकिशन नागर, जेपीए के ईश्वर सिंह राठी, जिला नारनौल से आशा वर्कर्स यूनियन की आशा देवी, प्राथमिक शिक्षक संघ के अमरजीत यादव, हरियाणा राज्य के अध्यापक संघ के ओम प्रकाश, पी.डब्ल्यू.डी. मेकेनिकल यूनियन जिला रेवाड़ी के कोषाध्यक्ष बिशम्बर लाल, हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच के राज्य प्रधान करतार सिंह मलिक, आंगनवाड़ी राज्य उपप्रधान पुष्पा दलाल आदि ने सम्बोधित किया। सभा अध्यक्ष सूबे सिंह ने कहा कि प्रदेशव्यापी जुझारू आंदोलन समय की मांग है। रैली के बाद जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को समस्याओं से बारे ज्ञापन सौंपा गया।

विशाल सभा से गठित हुई 'पश्चिम बंगाल आशा कर्मी यूनियन

22 जुलाई को कलकत्ता के भारतसभा हाल में 'आशा' कर्मियों का कन्वेन्शन हुआ जिसे एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के सांसद डॉ. तरुण मण्डल ने सम्बोधित किया। सभा में आशा कर्मियों को न्यूनतम वेतन 5500 रुपये देने, बोनस, पीएफ, पेन्शन, उन्नत ट्रेनिंग देने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सब सेन्टरों पर गर्भवती माताओं के प्रसव की सुव्यवस्था करने की माँगें बुलन्द की गई। कन्वेन्शन में विमल जाना को अध्यक्ष और कृष्णा प्रधान को सचिव चुनते हुए 27 सदस्यीय शक्तिशाली राज्य कमेटी गठित की गई। कन्वेन्शन में मिनती मण्डल, कल्पना शतपथी, शीला चक्रवर्ती, डालिया दत्त, हमीदा गाजी, वानातुल्लास सहित कई आशा कर्मियों ने वक्तव्य रखा।

आशा कर्मियों को संबोधित करते हुए एसयूसीआई(सी) सांसद डॉ. तरुण मंडल

शहीद चन्द्रशेखर आजाद की जयन्ती मनायी

पिलानी : 23 जुलाई को यहाँ पार्क में ऑल इण्डिया डीवाईओ और ऑल इण्डिया डीएसओ के संयुक्त तत्वावधान में शहीद चन्द्रशेखर आजाद की जयन्ती मनायी गई। शहीद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए स्मृति सभा की गई जिसकी अध्यक्षता कॉमरेड महादेव ने की। मुख्यवक्ता ऑल इण्डिया डीवाईओ की राज्य सांगठनिक कमेटी के सचिव कॉमरेड शंकर दहिया ने शहीद चन्द्रशेखर आजाद के जीवन-संघर्ष पर प्रकाश डाला।

सभा में अशोक वर्मा ने भी बात रखी। प्रताप सैनी और भुवनेश्वर ने कविता पाठ किया। बच्चों ने जनवादी गीत गाये। कार्यक्रम का संचालन डॉ. रविकान्त ने किया। 'इन्कलाब जिन्दाबाद' और 'चन्द्रशेखर आजाद अमर रहे' के नारों के साथ सभा का समापन हुआ।

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया की ओर से कॉ. गिरिजेश्वर सिंह द्वारा 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए., करोल बाग, नई दिल्ली-5 से संपादित व प्रकाशित तथा परम्परा प्रिंटिंग प्रेस, बी-70/83, इण्डस्ट्रियल एरिया, लॉरेंस रोड, दिल्ली-35 से मुद्रित, दूरभाष: 011-25726631, E-mail: sarvaharadrishtikon@yahoo.com